

FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम जूंगला जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

किस्म मुकदमा- पत्थरगढ़ी

नं.

60/2021

सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तारीख में जारी हुए
9.6.2021	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>दिलीप खत्री</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>नीमगांव</u> पटवार मण्डल <u>भोगीली बाग</u> तहसील जूंगला की आराजी नम्बर - <u>48813 रकबा 1.9019 है</u></p> <p>रकबा _____ हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीय आराजी के पड़ौसी है प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अनिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार जूंगला को <u>1.9019</u> - अक्षरे <u>छ</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्सों के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये मौजा <u>नीमगांव</u> पटवार मण्डल <u>भोगीली बाग</u> तहसील जूंगला की आराजी नम्बर - <u>48813 रकबा</u></p> <p>रकबा <u>1.9019</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकमल तौर पर की जावें।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>07.7.2021</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फौसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जूंगला

